D-25/2023 ल्याता V/s गोपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.05.2023	1 अन्तर्गत धारा 05 कानून म्याद अधिनियम व आदेश 41 नियम 05 जा०दी० **निर्णय** पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। विचाराधीन अपील में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून म्याद अधिनियम व एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 05 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पेश हुआ। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून म्याद अधिनियम का निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण 1 से 11 की किसी प्रकार की तामील नहीं हुई व राजस्व लोक अदालत में प्रकरण में निर्णय व डीक्री पारित कर दी गई 23.02.2023 को इजराय नोटिस से इसकी जानकारी हुई अतः विलम्ब को विस्मारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण की तरफ से जवाब पेश किया जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण 1 से 11 तक कोई समन तामील नहीं हुआ। इजराय नोटिस प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा लोक अदालत में एक तरफा निर्णय व डीक्री पारित करने की जानकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

D-25/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2
	भी तलबी का उल्लेख हुई। लोक अदालत में भी तलबी का उल्लेख नहीं। अत: विलम्ब को विस्तारित किया जाना उचित है। प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब के तथ्य दोहराते हुये बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में नोटिस जारी होने व बावजूद सूचना लोक अदालत में उपस्थित नहीं होने का कथन है। अत: प्रार्थीगणों को विचाराधीन वाद की जानकारी थी। 6 वर्ष बाद अपील दायरे करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है। हमने पत्रावली में मौजूद समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में इन्हें नोटिस तामील नहीं करवाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2017 को पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रकरण दर्ज होकर समन नोटिस जारी किये गये तथा लोक अदालत में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण को वाद की जानकारी थी। यह स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है कि प्रार्थीगण को वाद की सूचना नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में दिनांक 15.5.2017 को निर्णय व डीक्री पारित की गई जबकि दि. 04.04.2023 को अपील पेश की गई। अपील निर्णय के 5 वर्ष 11 माह

अपील प्राधिकारी (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अदालत : राजस्व ... मुकदमा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ब अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी

मुकाम : चित्तौड़गढ़

प्यारा बनाम गोपाल

किस्म मुकदमा D नं. 25 सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	3 बाद पेश की गई जबकि अपील पेश करने की म्याद 2 माह थी। अपील बिना ठोस कारण से अत्यन्त विलम्ब से पेश की गई है जिसे विस्तारित किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब को विस्तारित करने निवेदन अस्वीकार किया जाता है और प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। इस निर्णय से यह अपील मियाद बाहर पायी गई है अतः पत्रावली आगे कार्यवाई योग्य नहीं पायी जाने से इसी स्तर पर कार्यवाई समाप्त की जाती है। चूंकि प्रार्थना पत्र व अपील में निर्णय होने व अपील में कोई कार्यवाई शेष नहीं रहने से प्रस्तुत अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 के प्रार्थना पत्र में स्थगन दिया जाना संभव नहीं है अतः यह प्रार्थना पत्र भी निरस्त किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 11/05/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 11/05/2023 (गितेश श्री मालवीय) (RAS) राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- गितेश श्री मालवीय, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 25/2023/डिक्री

1. प्यारा पिता कालु रेगर निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
2. हेमा पिता कालु रेगर निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
3. मांगू पिता नाना गाडरी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
4. शंकर पिता प्यारा गाडरी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
5. नाथू पिता मोती -----------मृतक के बजाय
   5/1. शांतिलाल पिता नाथू गाडरी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
6. सुरेश पिता गणेश गाडरी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
7. भैरा पिता गिरधारी -----------मृतक के बजाय
   7/1. नारायणलाल पिता भैरा गाडरी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   7/2. रतनलाल पिता भैरा गाडरी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   7/3. बंशीलाल पिता भैरा गाडरी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
8. रतन पिता रामा गाडरी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
9. रामा पिता दल्ला गाडरी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
10. चैना पिता नारायण -----------मृतक के बजाय
    10/1. प्रभूलाल पिता चैना गाडरी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
    10/2. हेमराज पिता चैना गाडरी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
11. भैरू पिता बोतु गाडरी निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ

—अपीलान्ट

बनाम

1. बालूलाल पिता नारायण -----------मृतक के बजाय
   1/1. गोपाल पिता बालुलाल कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   1/2. भंवरलाल पिता बालुलाल कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
2. डालचंद पिता नारायण कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
3. मांगीलाल पिता नारायण कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
4. वरदीचंद पिता सोला कुमावत -----------मृतक के बजाय
   4/1. घीसूलाल पिता वरदीचंद कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
5. जांधराज पिता सोला कुमावत -----------मृतक के बजाय
   5/1. सुरेश पिता जोधराज कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   5/2. नरेन्द्र पिता जोधराज कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
6. काना पिता सोला कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
7. रामलाल पिता सोला कुमावत निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
8. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ तहसील व जिला चित्तौड़गढ

—रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)

लगातार----------

विरुद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ प्रकरण संख्या 200/2010 निर्णय व डिकी दिनांक 15.05.2017 अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 11.05.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री उंकारलाल कुमावत की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि- अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 25/2023 निरस्त किये जाने से पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,................................ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक **11.05.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

11/05/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)